प्रकरण संख्या 10/2024 रमेशचन्द्र व अन्य बनाम कालिया व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ग्राम डेचा के निवासी हो आपस में सगे भाई बहन हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित खाता संख्या 22/21 की कुल किता 7 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा तथा खाता संख्या 445/436 की कुल किता 13 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा क्रमशः मौजा केशरपुरा व मौजा डेचा में स्थित है। उक्त आराजियात का पिता के जीवनकाल में आपसी विभाजन 20–25 वर्षो पूर्व हेकर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी के पिता हीराजी की मृत्यु पर नामान्तरकरण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम स्वीकृत हो गया, जबकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 भील जाति के होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा लड़कियों के पैत्रृक सम्पत्ति में अधिकार नहीं होते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी से अक्सर विवाद करते हैं। अतः वाद वर्णित आराजियात का विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 03.11.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 26.06.2024 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नगीन पटेल उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेष भण्डारी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन [illegible] के मध्य असमान,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:15 IST
Reason: SelfAttested

असुविधा पूर्ण एवं विसंगतियों से ग्रस्त बंटवारा करते हुए अंतिम डिक्री जारी की है तथा मौके पर कब्जे की स्थिति को नजर अंदाज किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री वाद विविधताएं बढ़ाने वाला होकर अपीलान्टगण के हितों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य जो विभाजन किया गया है, उसमें दूर–दूर स्थित अलग–अलग खातों में चारों भाईयों को भूमि दी गयी है, भूमि एक चक में नहीं रखी गयी है, जिससे पक्षकारों को कृषि कार्य करने व उनके विकास में असुविधा होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में नहीं रखा गया है एवं विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 22/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रषित की जाती है कि पक्षकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.02.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:15 IST
Reason: SelfAttested